बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 03 / पटना दिनांक– 3.1.25

1. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा श्री दीनानाथ राय, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–रोहतास), कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के कार्य प्रशाखा, नवीनगर–1 में पदस्थापित रहने तथा दिनांक–11.01.2025 को 66 वर्ष आयु पूर्ण होने का उल्लेख करते हुए इन्हें आगामी एक वर्ष (अधिकतम 67 वर्ष तक) की अवधि तक नियोजनावधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 द्वारा श्री उमेश कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–सारण), कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के कार्य प्रशाखा, किशनगंज में पदस्थापित रहने तथा दिनांक–11.01.2025 को 66 वर्ष आयु पूर्ण होने का उल्लेख करते हुए इन्हें आगामी एक वर्ष (अधिकतम 67 वर्ष तक) की अवधि तक नियोजनावधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

3. विदित हो कि विभागीय संकल्प संख्या–4672 दिनांक–09.05.2018 में संसूचित निर्णय के आलोक में क्रमशः दिनांक–09.01.2024 एवं दिनांक–16.10.2024 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में श्री दीनानाथ राय एवं श्री उमेश कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना का 65–67 वर्ष तक की आयु तक नियोजनावधि विस्तारित किये जाने का अनुशंसा किया गया है।

3. तद्‌लोक में क्रमशः विभागीय कार्यालय आदेश सं0–95 सहपठित ज्ञापांक–1418 दिनांक–12.03.2024 एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0–391 सहपठित ज्ञापांक–6833 दिनांक–24.10.2024 के फलस्वरूप कार्यहित एवं विशेष परिस्थिति में श्री दीनानाथ राय, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–रोहतास), कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के कार्य प्रशाखा, नवीनगर–1 तथा श्री उमेश कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–सारण), कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के कार्य प्रशाखा, किशनगंज को यथा स्थान पर पूर्ववत कार्यरत रहने तथा अधिकतम 67 वर्ष तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक इनमें से जो पहले हो तक के लिए नियोजनावधि का विस्तार निम्नांकित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन किया जाता है:–

(i) यह संविदा आधारित नियोजन अवधि दिनांक–11.01.2026 (अधिकतम 67 वर्ष तक) तक इस शर्त्त के साथ होगा कि जैसे ही इस विभाग को नियमित कनीय अभियंता की नियुक्ति हो जाती है, तो उनके संविदा नियोजन अवधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) यह संविदा नियोजन पूर्णतः अस्थायी है तथा इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में संविदा कर्मी द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

Office Order

(iii) श्री दीनानाथ राय एवं श्री उमेश कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता को दिनांक–12.01.2025 के प्रभाव से (अधिकतम 67 वर्ष तक) इनका मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

उक्त से संबंधित सूचना अथवा अन्य संगत सूचना कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद एवं किशनगंज–1 मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 एवं संविदा नियोजन से संबंधित अन्य संगत संकल्प में निहित्त नियोजन / सेवा शर्त्तें भी प्रभावी रहेंगे।

4. **प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।**

07/01/2025
(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 132 / पटना, दिनांक– 3.1.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन / लघु जल संसाधन विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग एवं अन्य सभी संबंधित विभाग तथा विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/2025
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 132 / पटना दिनांक– 3.1.25

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव / विशेष सचिव के आप्त सचिव / अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के साथ विभागान्तर्गत सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/2025
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 132 / पटना दिनांक– 3.1.25

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–02 एवं 04 ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद एवं किशनगंज / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद एवं किशनगंज–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/2025
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

Office Order

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–1–16/2020 132 /पटना दिनांक– 3.1.25

प्रतिलिपिः–श्री दीनानाथ राय, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद एवं श्री उमेश कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–1–16/2020 132 /पटना दिनांक– 3.1.25

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–1–16/2020 132 /पटना दिनांक– 3.1.25

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव